

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 202B/2015-16

देवीचरण नापित बनाम 1. सरोज कु० प्रमाणिक 2. उमावती प्रमाणिक

:: आदेश ::

दिनांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता देवीचरण नापित, पिता स्व० जगन्नाथ नापित, ग्राम-बड़ा कुड़मा, थाना-खरसावां, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता 1. सरोज कुमार प्रमाणिक पिता-अनुध्वज प्रमाणिक 2. उमावती प्रमाणिक पति-मंगडू प्रमाणिक, ग्राम-बड़ा कुड़मा, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। क्रेता का कागजात अप्राप्त है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


 31/07/18
 भूमि सुधार उप समाहर्ता,
 सरायकेला।